FORM No. 111 APP-A Crim-I

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी .... मुकाम रुपवास, जिला भरतपुर

जगदीश .... बनाम राजस्थान सरकार

किस्म मुकदमा .... नं. .... सन ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/7/21	पत्रावली पेश हुई। वादी के अधि० उप०। वादी के अधि० ने अवगत कराया कि प्रकरण नाम शुद्धी से संबंधित है तथा तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है अतः वादी का नाम रनजीत सिंह के स्थान पर जगदीश राजस्व रिकार्ड में दुरस्त किये जाने की मांग कि है। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मोर के आराजी खाता संख्या 349, 348, 347 में विरासत का नामांतरणकरण से वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में रनजीतसिंह अंकित हो गया है। जबकि वादी का सही नाम जगदीश है। वादी का डाक विक्री किया जाकर उक्त खाता सं० के राजस्व रिकार्ड में रंजीतसिंह के स्थान पर जगदीश शुद्ध किये जाने की मांग की है। मेरे द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का मनन किया गया नायब तहसीलदार उच्चैन ने अपने पत्र क्रमांक/कैम्प/2 दिनांक 29-6-18 एवं सरपंच ग्रा० पं० फतेहपुर ने अपने रिपोर्ट में अवगत कराया है कि राजस्व रिकार्ड में रनजीतसिंह के स्थान पर जगदीश शुद्ध कर दिया जाता है तो सही है। ऐसी स्थिति में वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाना न्यायसंगत है। अतः आदेश है कि वादी का वाद पत्र डिक्री किया जाकर आराजी खाता सं० 347, 348, 349 वाकै ग्राम मोर रनजीतसिंह के स्थान पर जगदीश राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है अत	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम [illegible] हुक्म की तामील में जारी हुए
	खाते की वादी के हिस्से की भूमि PNB बैंक उच्चैन में रहन है। अत: रहनमुक्त होने के पश्चात वादी का नाम रनजीतसिंह के स्थान पर जगदीश [illegible] रिकार्ड में दुरुस्त किया जावे डिक्री पर्चा तैयार होकर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर ग्रामीण (भरतपुर)	